परियोजना निदेशक का कार्यालय,
समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

अति अल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 04/2019–20

समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से निम्नांकित कार्य के लिए परिमाण विपत्र पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

01	विभाग का नाम	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
02	विज्ञापन दाता का नाम	परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
03	परिमाण विपत्र बिकी की तिथि	दिनांक–24.09.2019 से 26.09.2019 तक कार्यालय अवधि में।
04	निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक–27.09.2019 को अपराह्न 01.00 बजे तक
05	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक–27.09.2019 को अपराह्न 04.00 बजे
06	परिमाण विपत्र की बिकी का स्थान	आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
07	निविदा प्राप्ति का स्थान	आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

08. कार्य की विवरणी

क0	कार्य का नाम	ईकाई	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
01	सी0सी0डी0 योजना अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों में निवासित आदिम जनजाति के ग्रामों/टोलों में Solar Based Drinking Water System योजना।	10 अदद	15806786.00	320000.00	10000.00	03 (तीन) माह

<u>निविदा की शर्तें :–</u>

विशेष शर्तें आम शर्तों पर अवक्रमण होगा।

परिमाण विपत्र क्रय हेतु निम्नांकित शर्तों को पूरा करना होगा।

01. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार में निबंधित निविदादाता ही निविदा में हिस्सा ले सकेंगे। परिमाण विपत्र के क्रय हेतु बोरिंग सहित निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
02. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो वापस नहीं होगा) राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से देय होगा।
03. निविदा के साथ Valid निबंधन प्रमाण–पत्र, अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र (निविदा की निर्धारित तिथि से अधिकतम एक वर्ष पूर्व का निर्गत), विगत तीन वर्षो (वितीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) के आयकर प्रमाण–पत्र, अद्यतन जी0एस0टी रिर्टन प्रमाण–पत्र, ई0पी0एफ0 निबंधन प्रमाण–पत्र, UCAN प्रमाण–पत्र, विगत तीन वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन, विगत तीन वर्ष का अंकेक्षक द्वारा निर्गत लाभ हानि लेखा विवरणी एवं पैनकार्ड का अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
04. कार्य आवंटन में स्थानीय संवेदकों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य आवंटन में समुचित श्रेणी के संवेदकों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। संवेदक को नियमानुसार समान प्रकृति के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।
05. संवेदक का विगत पाँच वित्तीय वर्षों में किसी भी एक वित्तीय वर्ष में वार्षिक टर्न ओवर कम से कम राशि–2,00,00,000.00 (दो करोड़) रू0 होना आवश्यक है।

06. निविदादाता को योजना से संबंधित Work Program देना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में योजना प्राक्कलन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

07. निविदा पत्र में अंकित परिमाण में परिवर्तन संभव है। अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य परिमाण विपत्र में अंकित अंतिम राशि के आधार पर देय होगा। निविदा के साथ जमा की जाने वाली अग्रधन की राशि जो परिमाण विपत्र में अंकित है (दो प्रतिशत निकटतम हजार रूपये में परिवर्धित) डाक घर के 05 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र या 3/5 वर्षीय डाक घर सावधि जमा पासबुक या बैंक सावधि जमा पासबुक समर्पित करना अनिवार्य होगा, जो परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से प्रतिज्ञित होगा।

08. निविदा हेतु निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

09. डीजल, पेट्रोल अथवा कार्य में प्रयुक्त अन्य सामग्रियों की कीमत में वृद्वि होने पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा, लेकिन किसी प्रकार का अंतर मूल्य का दावा मान्य नहीं होगा।

10. निर्माण कार्य में उपयोग हेतु लधु खनिजों की आपूर्ति संवेदक को वैद्य श्रोत से सुनिश्चित करना अनिवार्य है। एवं एतद विषयक खनन विभाग द्वारा जारी स्वामित्व अदायगी से संबंधित स्वच्छता प्रमाण–पत्र समर्पित करने के उपरांत ही नियमानुसार विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

11. समुचित गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री यथा–सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू ईत्यादि निर्माण सामग्री की व्यवस्था कर संवेदक को अपने स्तर पर आपूर्ति करनी होगी। आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर किसी भी निर्माण सामग्री की व्यवस्था नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में अंतर मूल्य भुगतान नहीं होगा।

12. परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत कम दर से नीचे का दर मान्य नहीं होगा। निविदादाता जिन्हें कार्य आवंटित होगा वे कार्य सबलेट नहीं करेंगें।

13. कार्य आवंटित होने के पश्चात तीन दिनों के अंदर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा निविदा को रदद् कर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।

14. वास्तव में कराये गये कार्यो का भुगतान विपत्र जमा करने के उपरांत निधि उपलब्ध होने पर ही किया जाएगा। इस संबंध में अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा।

15. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को रदद् करने का अधिकार या एक से अधिक संवेदक को कार्य आवंटन का अधिकार अधोहस्ताक्षरी या विभाग के सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

16. निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व ही कार्य एवं कार्यस्थल की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे।

17. समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार राशि कटौती कर ली जाएगी, विशेष परिस्थिति में ही समय वृद्वि मान्य होगी।

18. निविदा में एक से अधिक निविदादाताओं का दर न्यूनतम व समान प्राप्त होने पर झारखण्ड P.W.D Code 2012 के Paragraph 163 Note 3 के अनुसार निविदा का निस्तारण किया जाएगा।

19. 01 (एक) प्रतिशत राशि लेवर सेस वेलफेयर फंड हेतु विपत्र से कटौती किया जाएगा, जो वापस देय नहीं होगा। आयकर एवं बिक्रीकर की राशि विपत्र से नियमानुसार कटौती की जाएगी जिसका समर्पण एवं वापसी की प्रक्रिया संबंधित विभाग से ही करा सकेंगें।

20. योजना प्रारंभ करने से पूर्व, योजना कार्यान्वयन के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत स्थल का फोटोग्राफी कराकर संवेदक तीन तीन प्रतियों में कार्यालय में (अपनी लागत से) समर्पित करेंगें।

21. कार्यान्वित की जा रही योजना का स्थल पर सुगोचर स्थान पर एक सूचना पट लगाया जाएगा जिसमें योजना का नाम एवं पूरी विवरणी अंकित की जाएगी। निविदादाता को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि योजना में लगने वाले सभी सामान भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुसार है तथा इसकी जॉंच निर्धारित एजेंसी से कराना आवश्यक होगा, जिसकी लागत का वहन संवेदक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

22. सामग्रियों के भौतिक सत्यापन के बाद उपरांत ही इसका उपयोग कार्य पर किया जा सकेगा।

23. छिद्रण के पूर्व संवेदक स्वयं भी आश्वस्त हो लेंगें कि उनके द्वारा स्थल पर रखी गयी सामग्रियों की गुणवत्ता तकनीकी मापदण्ड के अनुरूप है। गड़बड़ी की स्थिति में सारी जवबदेही संवेदक की होगी।

24. संवेदक सर्वप्रथम Existing Source की Discharge की जॉंच कर संतुष्ट हो लेंगे तत्पश्चात शेष कार्य करायेंगें।

25. सोलर पैनल एवं पंप की गुणवत्ता MNRE Guideline के अनुसार होगा तथा इसका क्रय वैसे Manufactures से किया जाएगा जिसे MNRE द्वारा empaneled credit rating agency द्वारा credit rating certificate निर्गत हो, Approved Vendors/Manufacturers से ही क्रय किया जाएगा। सोलर पैनल एवं पंप MNRE द्वारा सत्यापित होना चाहिए एवं MNRE मार्क इन अवयवों पर अंकित होना चाहिए।

26. निविदादाता 100.00 (एक सौ) रू0 मूल्य के Non Judicial Stamp Paper पर निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन अथवा उसके बाद की तिथि में नोटरी पब्लिक से सत्यापित कराकर इस आशय का शपथ पत्र देगें कि (1) उन्हें अथवा उनके फर्म को अथवा वैसे फर्म को जिसमें वे अथवा उनका फर्म भी सदस्य के रूप में शामिल रहा हो, को झारखण्ड सहित किसी अन्य राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग अथवा संस्था द्वारा न तो ब्लैकलिस्ट किया गया है, न ही किसी कार्य में भाग लेने में मना किया गया है। (2) जिस विभाग में वे भाग ले रहें है उस विभाग में उनका कोई भी निकट संबंधी कार्यरत नहीं है। (3) उनके द्वारा समर्पित सभी सूचनायें /कागजात सत्य एवं सही है तथा गलत पाये जाने पर विभाग ब्लैक लिस्ट सहित किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। इस शपथ पत्र के आभाव में उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।